न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 73 / 2024

1. बनवारी पुत्र मन्साराम, जाति मेघवाल, साकिन पण्डितावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
2. रामकुमार पुत्र मन्साराम, जाति मेघवाल, साकिन पण्डितावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
3. आत्माराम उर्फ रूगाराम पुत्र सुरजाराम, जाति मेघवाल, साकिन पण्डितावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवीलाल पुत्र लाधूराम, जाति जाट, साकिन पण्डितावाली, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा, तहसील पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीगण

3. कमला देवी पुत्री मन्शाराम
4. रामस्वरूप पुत्र मन्शाराम
5. विमला देवी पुत्री मन्शाराम
6. सावित्री पुत्री मन्शाराम
7. सोमा देवी पुत्री मन्शाराम

अकवाम मेघवाल,
साकिनान पण्डितावाली,
तहसील पीलीबंगा,
जिला हनुमानगढ़ ।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री अशौक कुमार	प्रार्थीगण
2. श्री बंता राम	अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ता 7
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा	अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24/06/2025

.....

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से **अन्तर्गत धारा 251–क राजस्व काश्तकारी अधिनियम** अप्रार्थीगण के विरूद्ध अधिवक्ता श्री अशौक कुमार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एव तरतीबी अप्रार्थीगण का प्रमाणित व पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानो के अनुसार वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में निवेदित किया गया हैं।

यह कि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण की सुयक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 37 एनडीआर के खाता स. 38 / 38 के प.न. 89 / 352 (24) के किला न. 13, 14 की 0.506 हैक., प.न. 89 / 354 (34) के कि[illegible] इस प्रकार दोनो पत्थरों की कुल 1.265 हैक. कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि [illegible] रिकार्ड है व प्रार्थी स. 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में चक 37 एन[illegible] (24) के किला न. 6, 15 व प.न.89 / 354 (34) के किल[illegible] दोनो पत्थरों की कु[illegible] हैक. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड वाके है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:56:45 IST
Reason: SelfAttested

यह कि अप्रार्थी स.1 के नाम से सयुक्त खाता की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 37 एनडीआर के खाता स. 25 / 22 के प.न. 89 / 352 (24) के किला न. 3, 4, 5, 7, 8 की 1.265

सहायक कलक्टर
जिला हनुमानगढ़

हैव. कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसकी जमाबंदी की प्रतिलिपि सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र की मद स. 2 में वर्णित कृषि भूमि के प.न. 89/352 (24) के किला न. 13, 14 की 0.506 हैक. में आने–जाने हेतू अप्रार्थी स.1 के नाम प्रार्थना पत्र की मद स. 3 में वर्णित कृषि भूमि के किला न. 3 व 8 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 2 बीघा लम्बा प्रत्येक किला में 0.013 हैक. रास्ते की आवश्यकता है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि के किला न. 3 व 8 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण की भूमि का रास्ते के रूप में उपयोग करते है परन्तु उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में रास्ता के रूप में अकंन नही होने के कारण अप्रार्थी स.1 रास्ते के साथ छेडखानी कर फसल काश्त कर देता है व प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि आने जाने से रोक देता है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी स.1 को रास्ते के बदले कृषि भूमि लेकर या डी. एल. दर की दुगुनी राशि लेकर प.न. 89/352 (24) के किला न. 3 व 8 के पश्चिम दिशा में उत्तर से दक्षिण 2 बीघा लम्बा प्रत्येक किला में 0.013 हैक. कृषि भूमि को रास्ता का अकंन करवाने को कहा तो अप्रार्थी स.1 कुछ दिन तो आजकल –आजकल का कहकर टालमटोल करता रहा

परन्तु आज से 1 सप्ताह पूर्व स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता को राजस्व अभिलेख में स्वीकृत करवाने के अधिकारी है तथा इस रास्ता के बदले डीएलसी दर की दुगुनी राशि भुगतान करने या भूमि के बदले भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को देने के लिए तैयार है।

यह कि प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण के हित परस्पर एक समान है लेकिन तरतीबी अप्रार्थीगण आज माननीय न्यायालय में उपस्थिति नही होने के कारण उन्हे बतौर तरतीबी अप्रार्थीगण संयोजित किया गया है यदि भविष्य में तरतीबी अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के साथ संयोजित होना चाहे तो प्रार्थीगण को कोई उज्र व एतराज नही है।

यह कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो 2/– रूपया के न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 37 एनडीआर के प.न. 89/352 (24) के किला न. 6 में आने जाने हेतू अप्रार्थी स.1 के नाम तहसील पीलीबंगा के चक 37 एनडीआर के प.न. 89/352 (24) के किला न. किला न. 5 की पूर्वी दिशा की सींव पर उत्तर से दक्षिण लम्बा 0.013 हैक. बिस्वा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे व इस रास्ता में आने वाली भूमि की मुआवजा स्वरूप डीएलसी दर की दुगुनी राशि का भुगतान करने या रास्ते की भूमि के बदले भूमि प्रार्थी स.3 के नाम की कृषि भूमि चक 37 एनडीआर के प.न.89/352 (24) के किला न. 6 के उत्तर दिशा में रास्ते की जगह को छोडकर किला न.5 के चिपते हुए पूर्व से पश्चिम 1 बिस्वा कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश [illegible] अति कृपा होगी।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर [illegible] अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 एवं त[illegible] से राजीनामा प्रस्तुत किया गया राजीनामा निम्न प्रकार से है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:56:45 IST
Reason: SelfAttested

यह कि उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय में जैरकार है। जिसमें आज की वास्ते सुनवाई हेतू नियत है। उक्त अनवान के प्रार्थना पत्र में हम पक्षकारान प्रार्थीगण व अप्रार्थी स.1 व तरतीबी अप्रार्थी स.3 ता 7 का लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है व हमारे राजीनामा अनुसार अप्रार्थी स.1 की कृषि भूमि चक 37 एनडीआर के प.न.89/352 (24)

सहायक कलक्टर
[illegible]
पीलीबंगा हनुमानगढ़

के किला न.5 की पूर्वी दिशा की सींव पर उत्तर से दक्षिण 1 बीघा लम्बा 1 बिस्वा रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना तय हुआ है व उसके बदले प्रार्थी स.3 आत्माराम उर्फ रूगाराम पुत्र सुरजाराम की कृषि भूमि चक 37 एनडीआर के प.न.89/352 (24) के किला न.6 के उत्तर दिशा में रास्ते की जगह को छोडकर पूर्व से पश्चिम किला न.5 के चिपते हुए 1 बिस्वा कृषि भूमि अप्रार्थी स.1 देवीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जाना तय हुआ है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उक्त अनवान की पत्रावली को मुताबिक राजीनामा फैसला करने की कृपा करें। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

तहसीलदार पीलीबंगा से रिपोर्ट प्राप्त की गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मौके पर चालू नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते में आने वाली भूमि के काश्तकारो को पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा चाही गई भूमि रास्ते के अलावा अन्य स्वीकृतशुद्धा रास्ता मौके पर/मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड नहीं हैं। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम दूरी पर है। प्रार्थीगण के पास मौके पर अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामा एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251 –क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत लोक अदालत की भावना से राजीनामा के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया जाता है कि – चक 37 एनडीआर के प.न.89/352 (24) के किला न.5 की पूर्वी दिशा की सींव पर उत्तर से दक्षिण 1 बीघा लम्बा 1 बिस्वा रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे उक्त रास्ता के प्रतिकर के रूप में प्रार्थी स.3 आत्माराम उर्फ रूगाराम पुत्र सुरजाराम की कृषि भूमि चक 37 एनडीआर के प.न. 89/352 (24) के किला न.6 के उत्तर दिशा में रास्ते की जगह को छोडकर पूर्व से पश्चिम किला न.5 के चिपते हुए 1 बिस्वा कृषि भूमि अप्रार्थी स.1 देवीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है **आदेशों की पालना में तहसीलदार पीलीबंगा किसी प्रकार का स्थगन या वाद नहीं होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।**

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 24/06/2025 सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2025.07.17 10:56:45 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा